तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./4005/2006/उदयपुर **श्रीमती दशरथ कुंवर बनाम पन्ना लाल व अन्य**	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री पूर्णाशंकर दशौर अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री अजीत लोढा अभिभाषक अप्रार्थी अनु.
(3) श्री वी.पी. सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर के आदेश दिनांक 9–6–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जाब्ता दीवानी खारिज किया गया है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश 9 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत केवल मात्र अच्छा हेतुक देखा जाना आवश्यक है कि वादी अमुक दिनांक को क्यों उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थिया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–5–04 को उसके वकील बीमार होने से तथा प्रार्थिया स्वयं पर्दानशीन राजपूत औरत होने उपस्थित नहीं हो सकी,उक्त कथन अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये जो कि एक अच्छा हेतुक था। जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट था कि प्रार्थिया व उसके अधिवक्ता किस कारण से अनुपस्थित रहे। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत वाद चल अचल सम्पति से सम्बन्धित था जिसमें पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्णय होना था। विचाराधीन वाद में अप्रार्थी की ओर से जबाब दावा आ चुका था तथा तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की शहादत में चल रहा था। इस प्रकार का वाद जिसमें चल अचल सम्पति का निर्धारण होना हो,तकनीकी कारण से निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसलिये उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 9–6–06 एवं दिनांक 15–5–06 को निरस्त किया जाकर प्रार्थिया के वाद को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश प्रदान किये जावें। अपने कथन के समर्थन में ए आई आर 1981 एस सी पेज1400,2004(3) डी एन जे राज.पेज1426,2011(1)डी एन जे राज. पेज 140, 2013 डी एन जे एस सी पेज22,2012(1)डी एन जे राज. पेज19की नजीरें पेश की।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./4005/2006/उदयपुर</u>** **श्रीमती दशरथ कुंवर बनाम पन्ना लाल व अन्य**	
	5– बहस के जवाब में विद्वान राजकीय अभिभाषक ने निगराधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया। 7– विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के मध्य लम्बित वाद अधिनियम की धारा 88,188,63(4) एवं 92 के अन्तर्गत है।प्रस्तुत वाद चल अचल सम्पति से सम्बन्धित था जिसमें पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्णय होना था। विचाराधीन वाद में अप्रार्थी की ओर से जबाब दावा आ चुका था तथा तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की शहादत में चल रहा था। इस प्रकार का वाद जिसमें चल अचल सम्पति का निर्धारण होना हो,तकनीकी कारण से निरस्त नहीं किया जाना चाहिये। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वकील की गलती के लिये पक्षकार पीडित नहीं होना चाहिये और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जाब्ता दीवानी को खारिज करना न्यायसंगत नहीं माना है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 8– अतः निगरानी 500/–(रूपये पांच सौ)हर्जाने पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 9–6–06 एवं 15–5–06 निरस्त किया जाता है और वाद को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। हर्जाने की राशि प्रार्थिया अप्रार्थी पक्ष को विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तारीख पेशी पर अदा करनी होगी। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक .....को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद वर्ष 2004में दायर किया गया है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर उभय पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	